कार्यालय, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0
संख्या– 07/03/ई–2/2026–27
प्रयागराजः दिनांक 29 जून, 2026

<u>विज्ञप्ति</u>

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या ए–10/ई–1/2025 दिनांक 03–11–2025 के अन्तर्गत विज्ञापित **सहायक नगर नियोजक (विशेष चयन) (प्रा0) परीक्षा–2025, दिनांक 07 जुलाई, 2026 (मंगलवार) को एक सत्र में (पूर्वाह्न 09:30 बजे से 11:30 बजे तक) लखनऊ जनपद के उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, शिविर कार्यालय, सेक्टर–डी अलीगंज, स्थित परीक्षा भवन (भूतल) में** आयोजित की जानी है।

02–प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के **प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है।** अभ्यर्थी अपने ओ0टी0आर0 नम्बर के द्वारा प्रवेश–पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर, **प्रवेश–पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर <u>दो फोटो एवं आई0डी0प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें तथा कक्ष में अन्तरीक्षक को आई0डी0प्रूफ0 की एक छाया प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।</u> अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 01 घण्टा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा।**

03– उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–8, सन् 2024) दिनांक 06 अगस्त, 2024 को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित है कि ''परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।''

(हर्ष देव पाण्डेय)
परीक्षा नियंत्रक।